No. 2003/RS(G)/11/3 Part 3

New Delhi, dated 20.5.2015

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patia, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Subject: Procurement policy

Instances have come to the knowledge of CVC that different wings of Railway Board have been issuing instruction on the areas of vendor registration and procurement. These have resulted in directives whose authority have subsequently been questioned by CVC.

2. CVC has observed that the system of conveying suitable policy guidelines need to be looked into and strengthened suitably in order to have uniformity in dealing with such matters. Earlier, instances had also come to the knowledge of Board and Hon'ble MR wherein a vendor approving entity was issuing procurement oriented directives to field units of Indian Railways. The vendor approving entity was then advised to refrain from doing so.

3. In this context, attention is drawn to para XXIX of Appendix-I of Manual of Office Procedures of Ministry of Railways and Stores Code Vol.I, Chapter 3 and it is emphasised that on matters of vendor registration/approval and procurement of stores (the details of which are stipulated in the different sections of the Stores Codes and 'Rules for entering into supply contract' issued by Railway Board), if any policy directive is needed, the same should be referred to the Stores directorate of Railway Board which will then issue necessary directives if considered necessary. This will ensure uniformity of policy in these matters.

This is issued with the concurrence of finance directorate of Ministry of Railways.

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2003/RS(G)/11/3 Part 3

New Delhi, dated 20.5.2015

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

A&M

for Financial Commissioner / Railways
No. 2003/RS(G)/11/3 Part 3

New Delhi, dated 5.2.2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDSL, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors--
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamaipur
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Kolia Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2003/RS(G)/11/3 Part 3
Copy to:

New Delhi, dated 5.2.2015

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to:

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/11/3 पार्ट 3

नई दिल्ली, दिनांक 20.05.2015

महामन्त्री, सभी भारतीय रेल्वे/उत्पादन इकाइयों, पूर्वांतः सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अध्यक्ष/निदेशक एवं एनएआईआर/प्रशिक्षक
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक आपूर्तिशीलता कारखाना, परिचालन, इंटरसीएस/एनडीएसएस, अरसीएफ/अरसीएफ/एनडीएसएस

विषय: खरीद नीति

मुख्य सत्रक्षा आयोग की जानकारी में ऐसे बामले आए हैं कि रेलवे बोर्ड के विभिन्न विभाग, वेंडर के पंजीकरण और खरीद के संबंध में अनुशंसा जारी कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्देश दिए गए हैं जिसके पालिकार के बाद में मुख्य सरकार का विषय दिए गए हैं।

2. मुख्य सत्रक्षा आयोग ने पाया है कि उपयुक्त नीतिगत भारत-निर्देश देने की प्रणाली की जांच करने और उन्हें उपयुक्त रूप से सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे बामलों का लिपित नियन्त्रण करने में भारत उपयुक्त है। आरएस, बोर्ड और भारतीय रेलवे की जानकारी में सी ऐसे बामले आए थे जिसमें वेंडर की स्थीति देने वाली संस्था भारतीय रेलवे की पैनल इकाइयों को शीर्ष से संबंधित निर्देश जारी कर रही थी। उसके बाद वेंडर की स्थीति देने वाली उस संस्था को ऐसा न करने के लिए कहा गया।

3. इस संदर्भ में, रेल मंत्रालय की कार्यालय प्रतिष्ठा एवं निर्देशांक के परिणाम-1, 15 शाखा XXIX और भंडार संविदा वाल्यु-1, अध्ययन 3 की ओर ध्यान दिलाया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि वेंडर के पंजीकरण/अनुमोदन और भंडार की खरीद (जिनके बाद में भंडार संविदा वाल्यु के विभिन्न खंडों में और रेलवे बोर्ड के बारे में जारी के गई 'अपूर्ति संदिग्ध करने के लिए' में इम्यूनिटी से उल्लेख है) के मामलों में किया जितनी नीतिगत भारत-निर्देश के आवश्यकता हो तो उसे रेलवे बोर्ड के भंडार निर्देशालय को स्वीकार करें जो अपूर्ति संदिग्ध करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। जिससे इन मामलों में नीति संबंधी एकुण्तता सुनिश्चित होगी।

इसे रेल मंत्रालय के विभिन्न निर्देशालय की सहभागत से जारी किया जाता है।

उप निदेशक, रेल भंडार(सारा.)-1
रेलवे बोर्ड.

सं. 2003/आरएस(जी)/11/3 पार्ट 3

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेल्वे एवं उत्पादन इकाइयों
2. पीसीआई, सभी भारतीय रेल्वे एवं उत्पादन इकाइयों, डीपीआई/पटना, अरसीएफ/इंडिया, कोफामो,
3. एनइएआई (रेलवे), नई दिल्ली (10 अधिकतम प्रतियाँ सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेल्वे
2. निदेशक:-
   क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूसरंस्थान संस्थान, सिकंदराबाद।
   ख. भारतीय रेल यात्रिक एवं विज्ञल इंजीनियरी संस्थान, जगालपुर।
   ग. भारतीय रेल विज्ञल इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
   घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, बड़ोदरा।
   ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
   च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।

3. निदेशक, लौह एवं इंजीनियरी, 3. कोयला घाट स्टेट, कोलकाता।
4. कार्यालयक निदेशक (अंडर), अ.अ.भा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संस्था आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुवाडिया सर्फर, उदयपुर।

उप निदेशक रेल भंडार (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/11/3 पार्ट 3

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 248, एवं एनएआईआरएफ, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इंजीनियरी, कमरा नं. 268, प्रो.आ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरएफएफ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

उप निदेशक रेल भंडार (सा.)
रेलवे बोर्ड